न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 210/2022

बलवीर पुत्र प्रभूराम जाति मेघवाल साकिन पहाड़सर तहसील राजगढ जिला चुरू (राज.) जरिये आम मुख्त्यार ओमप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन करनोली तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।

––अपीलार्थी

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र अर्जुन जाति नायक साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मामराज पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल साकिन नुआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। (नाम कलमजन दिनांक 13.04.2023)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

–– रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर, दिनांक 04.05.2022,

प्र. सं. 59/2018 अनवान बनवारीलाल बनाम मामराज आदि

उपस्थितिः–

श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री महेश चन्द्र अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3, 4

निर्णय दिनांक 25/10/23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थी के पित्ता की खातेदारी कृषि भूमि रोही

25/10/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

मौजा ललानाबास जैतासरी के खाता सं0 71/69 के ख. नं. 65 की 5.045 है0 ख. नं. 66 की 4.565 है0 कुल 9.610 है0 भूमि थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादी के पिता ने सहायक कलक्टर भादरा नोहर में वाद सं0 151 सन् 1977 बेदखली का श्यामलाल महाजन के विरूद्ध पेश किया कि श्यामलाल महाजन जो स्वर्ण जाती का है ने भूमि पर कब्जा कर लिया है, जबकि वादी हरीजन जाति का था चूंकि श्यामलाल महाजन ब्याज पर रूपये देने का काम करता है और वादी के पिता ने कर्जा ले रखा था। वादी के पिता ने मय ब्याज रूपया कर्जा श्यामलाल महाजन को चुका कर दिया था। वाद पेश होने पर श्यामलाल हाजिर अदालत आया और उसने कब्जा होने की इन्कारी करते हुए मामराज मेघवाल के नाम एक नुमाईशी बैयनामा दर्शाया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी डिक्री करते हुए तहसीलदार नोहर द्वारा 23.08.7978 के मौके पर जाकर हल चलवाकर वादी के पिता को कब्जा सौंप दिया। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी गंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो मामराज मेघवाल द्वारा की गई थी जो खारिज की गई इसके बाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील हुई जो खारिज की गई फिर डबल बैंच में अपील हुई जिसमें दिनांक 29.01.1997 को पत्रावली रिमाण्ड कर दी गयी किन्तु मामराज द्वारा व श्यामलाल द्वारा पत्रावली आज तक पेशी में लेने की कार्यवाही नहीं की। मामराज ने बिना कब्जे के ही गैरसायल सं0 2 को दावा में स्थगन होते हुए बैयनामा करवा दिया। गैरसायल षड़यंतत्रपूर्वक वादी के कब्जा में दखलंदाजी कर भूमि को आगे रहन बैय करना चाहता है जिससे उसको अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया जावे। गैरसायल सं0 2 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों से इंकार करते हुए स्वयं को प्रश्नगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार कातश्कार बताया तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती का कथन करते हुए वाद वादी रेज्यूडिकेटा के आधार पर एवं क्षेत्राधिकारी के आधार पर खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया एवं दिनांक 01.06.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.05.2022 के द्वारा ताफैसला अपील कन्फर्म किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भली भांति साबित होता है कि विवादित भूमि की बाबत दोनों पक्षों के मध्य एक दावा सहायक जिलाधीश नोहर में वाद सं0 151 सन् 1977 में चला जो दिनांक 19.08.1978 को डिक्री हो गया जिसके विरूद्ध श्रीमान् अदालत में मामराज ने अपील की जो दिनांक 25.04.1992 को खारिज हो गई जिसके विरूद्ध मामराज ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जो 29.01.1997 को अपील स्वीकार की गई एवं पत्रावली सहायक कलक्टर नोहर को रिमाण्ड की गई उक्त पत्रावली में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं पुनः उन्हीं पक्षकारों के मध्य दूसरा दावा पेश किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। इसके बावजूद मातहत अदालत ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अहम कानूनी भूल की है। सायल ने बैयनामा दिनांक 20.07.1968 व बैयनामा दिनांक 02.07.2004 को अवैध, निष्प्रभावी व नुमाईसी घोषित करवाने के लिए सिविल वाद संख्या 113/2006 पेश किया जो बाद सुनवाई वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर द्वारा दिनांक 28.10.2015 को खारिज कर दिया गया एवं बैयनामों को विधि सम्मत माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि विवादित भूमि पर सायल का कब्जा साबित हो इसके बावजूद मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 29.01.1997 की पालना में आज तक सायल ने उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही नही की है एवं पुनः उन्हीं पक्षकारों के मध्य दूसरा दावा पेश किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के पिता की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा ललानाबास जैतासरी के खाता सं0 71/69 के ख. नं. 65 की 5.045 है0 ख. नं. 66 की 4.565 है0 कुल 9.610 है0 भूमि थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादी के पिता ने सहायक कलक्टर भादरा नोहर में वाद सं0 151 सन् 1977 बेदखली का श्यामलाल महाजन के विरूद्ध पेश किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

श्यामलाल महाजन जो स्वर्ण जाती का है ने भूमि पर कब्जा कर लिया है। जबकि वादी हरीजन जाति का था चूंकि श्यामलाल महाजन ब्याज पर रूपये देने का काम करता है इसलिए वादी के पिता ने कर्जा ले रखा था। वादी के पिता ने मय ब्याज रूपया कर्जा श्यामलाल महाजन को चुका कर दिया था वाद पेश होने पर श्यामलाल हाजिर अदालत आया और उसने कब्जा होने की इन्कारी करते हुए मामराज मेघवाल के नाम एक नुमाईशी बैयनामा दर्शाया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी डिक्री करते हुए तहसीलदार नोहर द्वारा 23.08.7978 के मौके पर जाकर हल चलवाकर वादी के पिता को कब्जा सौंप दिया। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी गंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो मामराज मेघवाल द्वारा की गई थी जो खारिज की गई इसके बाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील हुई जो खारिज की गई फिर डबल बैंच में अपील हुई जिसमें दिनांक 29.01.1997 को पत्रावली रिमाण्ड कर दी गयी किन्तु मामराज द्वारा व श्यामलाल द्वारा पत्रावली आज तक पेशी में लेने की कार्यवाही नहीं की। मामराज ने बिना कब्जे के ही गैरसायल सं0 2 को दावा में स्थगन होते हुए बैयनामा करवा दिया। गैरसायल षड़यंतत्रपूर्वक वादी के कब्जा में दखलंदाजी कर भूमि को आगे रहन बैय करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर समस्त तथ्यों को देखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. रेस्पोडेण्ट सं0 3 व 4 की तरफ से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत रिकार्ड में वाद भूमि रोही मोजा ललानाबास जैतासरी के खसरा नं. 71/69 की कुल 9.6100 है0 भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात प्रथम दृष्टया मामला गैरसायल सं0 2/अपीलाण्ट के पक्ष में है। जहां तक प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त का प्रश्न है। सायल/रेस्पोडेण्ट सं0 1 के द्वारा पटववारी की घटनाबही के अनुसार सहायक कलक्टर भादरा मु0 नोहर के आदेशों की अनुपालना में तहसील नोहर के द्वारा 23.08.1978 को वादी के पिता को वाद भूमि का कब्जा दिया जाना अंकित है। गेरसायल सं0 1 को सायल के पिता अर्जुन के द्वारा करवाये गये बैयनामा दिनांक 20.07.1968 को करवाया गया था तथा सहायक

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कलक्टर भादरा मु0 नोहर के आदेशानुसार वाद भूमि का कब्जा दिनांक 23.08.1978 को दिया गया है अर्थात बैयनामा के बाद वाद भूमि का कब्जा सायल के पिता को दिया गया है अर्थात सुविधा का सन्तुलन सायल/रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पक्ष में है।

8. अपील में वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा निर्णय दिनांक 29.01.1997 में पूर्व में पारित निर्णयों को निरस्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड करते हुए यह निर्देश दिये गये की मामराज को सभी गवाहान से जिरह करने का अवसर प्रदान करे तथा मामराज की उपस्थिति में स्थल का निरीक्षण करे तथा बेचान दिनांक से दावा प्रस्तुत करने की दिनांक तक राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी एवं अन्य साक्ष्य को रिकार्ड पर लेवे जिससे स्पष्ट हो सके की खेत की स्थिति क्या है तदोपरान्त विधि सम्मत निर्णय पारित करे। माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये निर्देशों की पालना की जानी आवश्यक है जो वाद के साक्ष्य सबूतों के आधार पर हो सकते हैं। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय तक वाद भूमि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायलाय के इस अभिमत से हम सहमत हैं कि जब तक वाद भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय में दिये निर्देशों की पालना नहीं होती तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी उचित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.05.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/10/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/10/23

(अशोक कुमार मीणा)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner